<u>प्रतिवेद्य</u>

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय अधिकारिता

<u>सिविल अपील संख्या 3093 वर्ष 2020</u>

(विशेष अनुमति याचिका (सि) संख्या 23478 वर्ष 2019 से उद्भूत)

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ..... अपीलार्थी

बनाम

श्रीमती सोमवती एवं अन्य ..... प्रत्यर्थी

सह

<u>सिविल अपील संख्या 3094 वर्ष 2020</u>

(विशेष अनुमति याचिका (सि) संख्या 4801 वर्ष 2020 से उद्भूत)

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ..... अपीलार्थी

बनाम

श्रीमती संगीता एवं अन्य ..... प्रत्यर्थी

सह

<u>सिविल अपील संख्या 3095 वर्ष 2020</u>

(विशेष अनुमति याचिका (सि) संख्या 4643 वर्ष 2020 से उद्भूत)

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ..... अपीलार्थी

बनाम

अज़मती खातून एवं अन्य ..... प्रत्यर्थी

सह

<u>सिविल अपील संख्या 3096 वर्ष 2020</u>

(विशेष अनुमति याचिका (सि) संख्या 5441 वर्ष 2020 से उद्भूत)

चोलमंडलम एमएस जनरल बीमा कंपनी लिमिटेड ..... अपीलार्थी

बनाम

उमारानी एवं अन्य ..... प्रत्यर्थी

सह

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

<u>सिविल अपील संख्या 3097 वर्ष 2020</u>

(विशेष अनुमति याचिका (सि) संख्या 6381 वर्ष 2020 से उद्भूत)

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ..... अपीलार्थी

बनाम

श्रीमती पिंकी एवं अन्य ..... प्रत्यर्थी

सह

<u>सिविल अपील संख्या 3098 वर्ष 2020</u>

(विशेष अनुमति याचिका (सि) संख्या 7556 वर्ष 2020 से उद्भूत)

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ..... अपीलार्थी

बनाम

नानक चंद एवं अन्य ..... प्रत्यर्थी

सह

<u>सिविल अपील संख्या 3099 वर्ष 2020</u>

(विशेष अनुमति याचिका (सि) संख्या 8250 वर्ष 2020 से उद्भूत)

ओरिएंटल एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ..... अपीलार्थी

बनाम

श्रीमती रिंकू देवी एवं अन्य ..... प्रत्यर्थी

<u>निर्णय</u>

<u>न्यायमूर्ति अशोक भूषण</u>

अनुमति प्रदान की गई।

2. विधि के सामान्य प्रश्नों को उठाने वाली इन अपीलों को एक साथ सुना गया और इस सामान्य निर्णय द्वारा अभिनिर्णीत किया गया। इन अपीलों का निर्णय करने के लिए, **सिविल अपील संख्या..... विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 23478 वर्ष 2019 से उद्भूत), न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती सोमवती एवं अन्य** के तथ्यों को विस्तार से समझना और अन्य अपीलों के तथ्यों को संक्षेप में समझना पर्याप्त है।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

3. ये अपीलें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दावेदारों के पक्ष में दो शीर्षों, अर्थात "साथी की क्षति" और "प्रेम और स्नेह का नुकसान" के तहत मुआवजे के आदेश से उद्भूत उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरूद्ध तीन बीमा कंपनियों, अर्थात् न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चोलमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर की गई हैं,

सिविल अपील सं...../2020 (विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 23478 वर्ष 2019 से उद्भूत), न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती सोमवती एवं अन्य

4. श्रीमती सोमवती के पति राम जियावन की मृत्यु दिनांक 06.12.2001 को वाहन दुर्घटना में हो गयी और उनके परिवार में उनकी विधवा श्रीमती सोमवती और सात नाबालिग हैं। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत दायर की गई दावा याचिका संख्या 7 वर्ष 2002 में रु. 15,25,000/– के मुआवजे का दावा किया गया था। 22.03.2003 दिनांकित निर्णय द्वारा एमएसीटी ने 9% ब्याज के साथ रु.1,67,000/– के दावे की अनुमति दी। श्रीमती सोमवती देवी और अन्य द्वारा उच्च न्यायालय में एफ.ए.एफ.ओ. संख्या 1894 वर्ष 2003 में एक अपील दायर की गई। उच्च न्यायालय ने दावेदारों की अपील को स्वीकृति दी और रू. 12,54,000/– के मुआवजे का आदेश दिया। यह अपील बीमा कंपनी द्वारा 25.02.2019 दिनांकित उच्च न्यायालय के फैसले के विरूद्ध दायर की गई है। इस अपील में दो शीर्षों अर्थात, मद सं. (vi) और (viii) के अन्तर्गत मुआवजे के अनुदान को चुनौती दी गई है, जो निम्नलिखित प्रभाव के हैं:–

> "(vi) प्रे और स्नेह की हानि = Rs. 4,00,000/– (प्रत्येक आठ दावेदारों को रू. 50,000/–)।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(viii) दावेदार/अपीलार्थी संख्या 2 से 8 का पैतृक क्षति के लिए मुआवजा = Rs. 2,80,000/– (प्रत्येक दावेदार को रू. 40,000/–)"

5. इस न्यायालय ने दिनांक 24.04.2019 को नोटिस जारी करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया:–

"आदेश

विलम्ब क्षम्य।

चार सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस जारी की जाय जो इस मुद्दे तक सीमित हो कि क्या इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा साथी की क्षति के लिए मुआवजा और प्रेम व स्नेह का नुकसान दोनो के लिए आदेश दिया जा सकता था।

इसके अलावा, दास्ती सेवा अनुमन्य है।

अगले आदेश तक, आक्षेपित आदेश के खण्ड (VI) में वर्णित दावेदारों को देय 2 मुआवजे राशि का भुगतान स्थगित रहेगा। जो निम्नवत है :

"प्रेम और स्नेह की क्षति = रु. 4,00,000/– (50,000/– प्रत्येक आठ दावेदारों को) "

6. इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के अनुसरण में, प्रत्यर्थीगण प्रस्तुत हुए और प्रत्युत्तर तथा लिखित कथन दाखिल किया ।

सिविल अपील नंबर..../2020 (विअया (सि) सं. 4801 वर्ष 2020 से उद्भूत), न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम संगीता देवी एवं अन्य

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

7. प्रत्यर्थी संगीता देवी के पति संजय कुमार की मृत्यु 12.01.2015 को मोटर वाहन दुर्घटना में हो गयी। प्रत्यर्थीगण द्वारा एमएसीपी दावा याचिका सं. 862 वर्ष 2016 दायर की गयी जिस दावा याचिका को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा 9% ब्याज के साथ रु. 17,71,000/– का मुआवजा देते हुए स्वीकार किया गया। दावेदारों ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की। **मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम @ चुह्लू राम एवं अन्य (2018)18 एससीसी 130** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के आधार पर उच्च न्यायालय ने रू. 50,000/– की दर से 'प्रेम और स्नेह की क्षति' के लिए प्रत्येक आठ दावेदारों को मुआवजा का आदेश दिया और इसी प्रकार रु. 40,000/– की दर से 'साथी की क्षति' के लिए प्रत्येक आठ दावेदारों को मुआवजा का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित होकर बीमा कंपनी ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की है।

सिविल अपील सं...../2020 (विअया (सि) सं. 4643 वर्ष 2020 से उद्भूत), न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम अजमती खातून एवं अन्य

8. मोहम्मद हसीबुल बस्सन की मृत्यु 29.10.2007 को एक मोटर वाहन दुर्घटना में हो गयी। प्रत्यर्थीगण द्वारा दावा याचिका दायर की गयी जिसे मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा ब्याज के साथ रु. 17,32,776/– का मुआवजा देते हुए स्वीकार किया गया। अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने प्रत्येक सात दावेदारों को 'प्रेम और स्नेह की क्षति' के लिए 50,000/– रुपये और प्रत्येक सात दावेदारों को 'साथी की क्षति' के लिए 40,000/– रुपये की दर से मुआवजे को मंजूरी दी। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित बीमा कंपनी ने अपील की है।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

सिविल अपील सं...../2020 (वि अ या (सि) सं. 5441 वर्ष 2020 से उद्भूत), चोलमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम उमारानी एवं अन्य

9. मृतक कृष्णासामी के साथ 07.09.2014 को एक वाहन दुर्घटना हो गयी जिनकी बाद में मृत्यु हो गयी। प्रत्यर्थीगण द्वारा दावा याचिका दायर की गई जिसे स्वीकार करते हुए मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा न्यायाधिकरण ने रु. 13,60,000/– के मुआवजे को मंजूरी दी। बीमा कंपनी द्वारा अपील दायर की गई। उच्च न्यायालय द्वारा 'साथी की क्षति' के तहत एक लाख रुपये की राशि और 'प्रेम और स्नेह की क्षति' के तहत तीन लाख की पुष्टि की गई, जिसे बीमा कंपनी ने इस अपील में चुनौती दी है।

सिविल अपील सं...../2020 (विअया (सि) सं. 6381 वर्ष 2020 से उद्भूत), न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती पिंकी और अन्य

10. दिनेश कुमार नाम के व्यक्ति की मोटर वाहन दुर्घटना में ने 11.06.2014 को मृत्यु हो गई। प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर दावा याचिका को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा रु 13,01,776/– के मुआवजे के साथ मंजूरी दी गयी। दावेदारों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की जिसने मुआवजे को बढ़ा दिया। उच्च न्यायालय ने 'प्रेम और स्नेह की क्षति' के तहत प्रत्येक चार दावेदारों को 50,000/– रुपये और 'साथी की क्षति' के लिए प्रत्येक चार दावेदारों को 40,000/– रुपये की दर से मुआवजे को मंजूरी दी। उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित बीमा कंपनी ने यह अपील की है।

सिविल अपील सं...../2020 (वि अ या (सि) सं. 7556 वर्ष 2020 से

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

उद्धृत), न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानक चंद एवं अन्य

11. गौरव की मृत्यु 23.09.2010 को एक मोटर वाहन दुर्घटना में हो गयी। मृतक के माता–पिता द्वारा दावा याचिका दायर की गई थी, जिसे रू. 4,83,348/– के मुआवजे के साथ मंजूरी दी गयी। दावेदारों ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की जिसे स्वीकार कर लिया गया। उच्च न्यायालय ने 'प्रेम और स्नेह की क्षति' के तहत प्रत्येक दो दावेदारों को 50,000/– रुपये और 'साथी की क्षति' के लिए प्रत्येक दो दावेदारों को 40,000/– रुपये की दर से मुआवजे को मंजूरी दी। उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दायर की गयी।

सिविल अपील सं...../2020 (विअया (सि) No. 8250 वर्ष 2020 से

उद्धृत), द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती रिंकू देवी एवं अन्य

12. बीरबल कुमार के साथ 27.07.2008 एक दुर्घटना हो गयी जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर की गयी बीस लाख रू. का दावा करने वाली दावा याचिका को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा रु. 5,80,000/– के मुआवजे को मंजूरी देते हुए स्वीकार किया गया। बीमा कंपनी ने अपील दायर की। ट्रिब्यूनल ने प्रत्येक दावेदार अर्थात पत्नी,दो बच्चे और पिता को 40,000/– रु. की दर से संतान विषयक मुआवजा कुल रु. 1,60,000/– की मंजूरी दी। बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील में उच्च न्यायालय ने चार दावेदारों में से प्रत्येक को 'प्रेम और स्नेह की क्षति' के तहत मुआवजे को और बढ़ा कर 50,000/– रुपये की दर से कुल राशि दो लाख रुपये कर दिया। उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित बीमा कंपनी ने यह अपील की है।

13. हमने अपीलकर्ता के लिए विद्वत अधिवक्ता तथा दावेदारों के लिए विद्वत अधिवक्ता को सुना।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

14. इन सभी अपीलों में, विचार के लिए एकमात्र विषय है दो शीर्षों,अर्थात, (ए) साथी की क्षति, और (बी) प्रेम और स्नेह की क्षति के तहत दावेदार को दिया जाने वाला मुआवजा। 'साथी' के संबंध में, प्रश्न यह है कि क्या केवल पत्नी ही साथी की क्षति के तहत मुआवजे के लिए हकदार है या यह बच्चों और माता पिता को भी प्रदान किया जा सकता है।

15. अपीलकर्ताओं के विद्वत अधिवक्ता का तर्क है कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य (2017)16 एससीसी 680 के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने यह प्रतिपादित किया है कि केवल तीन पारंपरिक शीर्ष हैं अर्थात् (i) 'संपत्ति का नुकसान', (ii) 'साथी की क्षति' और (iii) 'अंतिम संस्कार व्यय', जिसके लिए संविधान पीठ द्वारा निर्धारित राशि क्रमशः रु. 15,000/–, रु. 40,000/– और रु. 15,000/– है। इस प्रकार, पारंपरिक शीर्ष के तहत कुल राशि रु. 70,000/– थी और पारंपरिक शीर्षों के तहत राशि रु. 70,000/– से अधिक नहीं हो सकती।

16. यह कहा गया है कि 'प्रेम और स्नेह की क्षति' शीर्ष के तहत दी गई राशि पूरी तरह से अधिकारिता रहित है और 'साथी की क्षति' के तहत दी गई राशि रु. 40,000/– से अधिक नहीं हो सकती है और 'साथी की क्षति' की राशि केवल पत्नी को देय है जो रु. 40,000/– की हकदार है और अधिकरण और उच्च न्यायालयों ने साथी की क्षति की राशि प्रत्येक दावेदार , यानी पत्नी,बच्चों और माता–पिता स्वीकृत कर गलती की है।

17. यह कहा गया है कि संविधान पीठ के निर्णय के बाद भी, इस न्यायालय ने पारंपरिक शीर्षों 'संपत्ति की हानि' के तहत रु. 15,000/–, 'साथी की क्षति' के

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

तहत रु. 40,000/– और 'अंतिम संस्कार खर्च' के लिए रु. 15,000/– की मंजूरी दी है। यह कहा गया है कि **प्रणय सेठी** के मामले में निर्णय के बाद, इस न्यायालय ने **प्रणय सेठी** के मामले में निर्णय के अनुसार भुगतान को पारंपरिक शीर्षों के तहत सीमित रखा था, 'प्रेम और स्नेह की क्षति' के साथ–साथ प्रत्येक दावेदार को 'साथी की क्षति' शीर्ष के तहत मुआवजा देने का उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के विपरीत है और इसे अपास्त किया जाना चाहिए।

18. द् ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. बनाम श्रीमती रिंकू देवी एवं अन्य के मामले में अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत विद्वत अधिवक्ता द्वारा एक अतिरिक्त कथन किया गया है। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि यद्यपि एमएसीटी ने चार दावेदारों को 'साथी की क्षति' के 40,000 रू. की दर से मुआवजा की मंजूरी देकर त्रुटि की है, लेकिन बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील में उच्च न्यायालय ने 'प्रेम और स्नेह की हानि' के तहत मुआवजे को और बढ़ा दिया है। जब दावेदारों ने अपील दायर नहीं की, तो बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील पर मुआवजा नहीं बढ़ाया जा सकता था। विद्वान अधिवक्ता का आगे कहना है कि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा अपील के साथ जमा की गई वैधानिक राशि को दिल्ली उच्च न्यायालय में खोले गए एएएसआरए फंड में जमा करने का निर्देश देकर और त्रुटि की है, ऐसा निर्देश नहीं दिया जाना चाहिए था क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा विधि का सारवान प्रश्न उठाया गया है और अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

19. अपीलार्थी के अधिवक्ता के कथन का खंडन करते हुए दावेदारों की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रत्येक दावेदार को 40,000/– रुपये की दर से 'साथी की क्षति' के तहत मुआवजा दिया जाना इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुरूप है। यह कहा गया है कि 'साथी की क्षति' शीर्ष के तहत

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

मुआवजा दिए जाने की संकीर्ण व्याख्या नहीं हो सकती। 'साथी की क्षति' शीर्ष के तहत मुआवजा ठीक ही न केवल पत्नी को दिया गया है बल्कि बच्चों और माता पिता को भी दिया गया है। दावेदार के विद्वत अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के निर्णयों का समर्थन किया है।

20. पक्षकारों के विद्वत अधिवक्ताओं ने इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का भी अवलंब लिया है जिनका उल्लेख कथनों पर विस्तार से विचार करते समय किया जाएगा।

21. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के कथनों पर विचार किया और अभिलेख का परिशीलन किया।

22. 'प्रतिकर' एक व्यापक पद है जिसमें नुकसान के लिए दावा सम्मिलित है। प्रतिकर कारित की गयी क्षति के लिए प्रायश्चित के द्वारा होता है।

23. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत किसी दावे में मुआवजे का दावेदार न्यायोचित मुआवजे का हकदार होता है। न्यायसंगत मुआवजा समान और उचित होना चाहिए। जीवन की क्षति का समान मात्रा में मुआवजा नहीं दिया जा सकता, लेकिन मोटर वाहन अधिनियम के तहत वैधानिक प्रावधान विधायन का एक सामाजिक हिस्सा है जिसे परिवारिक सदस्य की क्षति की भरपाई, कुछ हद तक क्षति की भरपाई और दावेदार को न्यायसंगत सीमा तक मुआवजा प्रदान करवाने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है।

24. हम **महाप्रबंधक केरल राज्य सड़क परिवहन निगम, त्रिवेंद्रम बनाम सुसम्मा थॉमस (श्रीमती) एवं अन्य, (1994)2 एससीसी 176** के मामले में इस न्यायालय

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं। मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के तहत मुआवजे की अवधारणा पर विचार करते हुए निर्णय के प्रस्तर 5 में इस न्यायालय ने निम्नवत धारित किया:–

> "5. मात्रा का निर्धारण इस बात से होना चाहिए कि तत्कालीन समाज " किस राशि को इतना उचित मानेगा कि गलत कार्य करने वाला व्यक्ति अपने पड़ोसियों के सामने सिर उठाकर कह सके कि उसने सही कार्य किया है।" मंजूर की गयी राशि अत्यल्प नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक मुक्त समाज में विधि जीवन को उदारता पूर्वक मूल्यवान मानता है। इस सब का अर्थ यह है कि दी गई राशि स्वीकृत विधिक मानकों से उचित और न्यायसंगत होनी चाहिए।

25. उपरोक्त मामले में भी, इस न्यायालय ने 'साथी की क्षति' के पारंपरिक शीर्ष के तहत राशि को मंजूरी दिया था।

26. एक अन्य निर्णय जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है **सरला वर्मा (श्रीमती) एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं एक अन्य, (2009)6 एससीसी 121**, जिसमें निर्णय के प्रस्तर 16 में 'न्यायोचित मुआवजे' को स्पष्ट करते हुए इस न्यायालय ने निम्नलिखित प्रतिपादित किया :

> "5..."न्यायोचित मुआवजा पर्याप्त मुआवजा होता है जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित और न्यायसंगत हो, किसी गलत कृत्य के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए, जहाँ तक पैसा यह कर सके तो मुआवजे के लिए सुस्थापति सिद्धान्तों को अपनाकर। इसका उद्देश्य लाभ का स्रोत या बहुत भारी भरकम नहीं है।

27. इस न्यायालय ने पत्नी को 'साथी की क्षति' शीर्ष के तहत राशि भी प्रदान की।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

28. हमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में ०संविधान पीठ के निर्णय पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है जिसमें इस न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णयों को ध्यान में रखा गया है जहां साथी की क्षति के लिए मुआवजे को मंजूरी दी गयी थी। पैराग्राफ 46 में, निम्नलिखित प्रतिपादित किया गया था:–

> "46. एक अन्य पहलू जिसने भ्रम पैदा किया है, वह संपत्ति के नुकसान, साथी की क्षति और अंतिम संस्कार के खर्चों से संबंधित है। संतोष देवी के मामले में, दो–न्यायाधीश पीठ ने पारंपरिक विधि का पालन किया और शव को ले जाने के लिए रु.5000/–, अंतिम संस्कार खर्च के रूप में रु. 10,000/– और साथी की क्षति के लिए रु. 10,000/– को मंजूरी दी। सरला वर्मा के मामले में, न्यायालय ने संपत्ति के नुकसान के लिए रु. 5000/– अंतिम संस्कार के लिए रु. 5000/– और रू. 10,000/– साथी की क्षति के लिए स्वीकृत किया। राजेश (2013) 9 एससीसी 54 के मामले में, न्यायालय ने साथी की क्षति के लिए रु. 1,00,000/– और अंतिम संस्कार खर्चों के लिए रु. 25,000/– की अनुमति दी। इसने नाबालिग बच्चों की देखभाल और मार्गदर्शन को हुई क्षति के लिए रू. 1,00,000/– भी स्वीकृत किया। न्यायालय ने इसे इस सिद्धांत के आधार पर बढ़ाया कि सामाजिक–आर्थिक मुद्दे पर एकरूपता और स्थिरता प्राप्त करने के लिए बनाए गए किसी सिद्धान्त को समय समय पर जांचना चाहिए और विधिक सिद्धान्तों से उसका मिलान करना चाहिए जैसा कि सन्तोष देवी (2012) 6 एससीसी के मामले में धारित किया गया है। 421. पुनर्विचार के सिद्धांत पर, इसने पारंपरिक शीर्षों के तहत अलग–अलग राशि तय की। न्यायालय ने जिस चीज पर विचार किया वह है मंहगाई का तथ्य और मूल्य सूचकांक। यह साथी की क्षति की

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अवधारणा से भी द्रवित है। हम ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि इस संबंध में जो कहा गया है। हम उद्धृत करते हैं : (राजेश मामला):–

> "17. विधिक भाषा शैली में, "साथी की क्षति के लिए मुआवजा" दूसरे साथी का उसके/उसकी साथी के साथ संग–साथ, देखभाल, सहायता, सुख, मार्गदर्शन, सांत्वना, स्नेह और शारीरिक संबंध का अधिकार है। यह कि नुकसान के गैर वित्तीय शीर्षों को हमारे न्यायालयों द्वारा उचित रूप से समझा नहीं गया है। साहचर्य, प्रेम, देखभाल और संरक्षण इत्यादि की क्षति, दूसरे साथी को पाने का अधिकार है और उसे उचित रूप से मुआवजा मिलना चाहिए। साथी की क्षति के लिए गैर वित्तीय नुकसान की अवधारणा दुनिया के दूसरे हिस्सों विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया इत्यादि में मुआवजे का एक बड़ा शीर्ष होता है। आंग्ल न्यायालयों ने अस्थायी विकलांगता के दौरान भी दूसरे साथी के मुआवजा पाने के अधिकार को मान्यता दी है। साथी की क्षति के मुआवजे के रूप में न्यायालयों ने दूसरे साथी को आगामी वर्षों में हुए स्नेह, सुख, सान्त्वना, साहचर्य, समाज, सहायता, संरक्षण, देखभाल और शारीरिक संबंधों के नुकसान की भरपाई का प्रयास किया है। दूसरे देशों और क्षेत्राधिकार में दिये जाने वाले मुआवजे के विपरीत, चूंकि विधिक उत्तराधिकारी को वित्तीय नुकसान के लिए पर्याप्त रूप से मुआवजा दिया जाता है, इस शीर्ष के तहत बड़ी धनराशि स्वीकृत करना उचित नहीं होगा। इसलिए हमारा मत है कि यही न्यायसंगत और तर्कसंगत होगा कि न्यायालय साथी की क्षति के लिए कम से कम एक लाख रूपया की मंजूरी दे।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

29. पैरा 52 में, संविधान पीठ ने कहा कि पारंपरिक शीर्ष जैसे 'संपत्ति की हानि', 'साथी की क्षति' और 'अंतिम संस्कार का खर्च' के तहत तर्कसंगत राशियां क्रमशः रु.15,000/–, रु. 40,000/– और रु. 15,000/– होना चाहिए। / – क्रमशः। अनुच्छेद 52 में, निम्नलिखित निर्धारित किया गया है:

> "52. जहां तक पारंपरिक शीर्षों का संबंध है, हमारे लिए राजेश के मामले में व्यक्त किये गये विचार से सहमत होना मुश्किल है। इसने रु. 25,000/– अंत्येष्टि खर्च के लिए, रु. 1,00,000/– साथी की क्षति के लिए और रु. 1,00,000/– नाबालिग बच्चों की देखभाल और मार्गदर्शन के नुकसान के लिए स्वीकृत किया। देखभाल के नुकसान और नाबालिग बच्चों से संबंधित शीर्ष मौजूद नहीं है। हालांकि राजेश के मामले में संतोष देवी के मामले को संदर्भित किया गया है, लेकिन यह उसका अनुसरण करता प्रतीत नहीं होता। कहने की आवश्यकता नहीं है कि पारंपरिक और परंपरागत शीर्षों का निर्धारण प्रतिशत के आधार पर नहीं किया जा सकता क्योंकि यह स्वीकार्य मानदंड नहीं होगा। आय के निर्धारण के विपरीत, उक्त शीर्षों को परिमाणित किया जाना है। किसी भी परिमाणीकरण का एक उचित आधार होना चाहिए। इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि मूल्य सूचकांक, बैंक ब्याज में गिरावट, कई क्षेत्रों में दरों में वृद्धि पर ध्यान देना होगा। न्यायालय इससे बेखबर नहीं रह सकता। इस मामले में स्पष्ट नियम रहा है। अन्यथा, इसके निर्धारण में अत्यधिक कठिनाई होगी और जब तक स्पष्ट नियम का प्रयोग नहीं किया जाता, तब तक किसी भी प्रकार की स्थिरता की कमी के कारण अत्यधिक भिन्नता होगी, जिसके परिणामस्वरूप, अधिकरणों और न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के दिशाहीन होने

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

संभावना है। इसलिए, हमें लगता है कि यह उचित रकम तय करना प्रतीत होता है। हमें ऐसा लगता है कि पारंपरिक शीर्षों के तहत उचित राशियां अर्थात् संपत्ति की हानि, साथी की क्षति और अंत्येष्टि व्यय क्रमशः रु. 15,000/–, रु. 40,000/– और रु. 15,000/– होना चाहिए। उक्त शीर्षों के पुनरावलोकन का सिद्धांत एक स्वीकार्य सिद्धांत है। लेकिन पुनरीक्षण तथ्य–केंद्रित या मात्रा–केंद्रित नहीं होना चाहिए। हमें लगता हैं कि जो राशि हमने निर्धारित की है, उसे हर तीन साल में प्रतिशत के आधार पर बढ़ाया जाना और तीन साल की अवधि में 10% की दर से वृद्धि होना उपयुक्त होगा। हम ऐसा इसलिए करने के लिए तैयार हैं क्योंकि इससे उन शीर्षों के संबंध में स्थिरता आएगी। ”

30. पैराग्राफ 59.8 में, न्यायालय ने आगे कहा कि पारंपरिक शीर्ष की राशि को हर तीन साल में 10% की दर से बढ़ाया जाना चाहिए। पैराग्राफ 59.8 में, निम्नवत् धारित किया गया : –

"59.8. पारंपरिक शीर्षों अर्थात् संपत्ति की हानि, साथी की क्षति और अंतिम संस्कार व्यय के तहत उचित राशियां क्रमशः रू. 15,000/– रु. 40,000/– और रू. 15,000/– होना चाहिए। उक्त राशि को प्रत्येक तीन वर्ष में 10% की दर से बढ़ाया जाना चाहिए।"

31. अगला निर्णय जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह है **मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहरू राम और अन्य, (2018) 18 एससीसी 130**, साथी की क्षति की अवधारणा को प्रस्तर 21,22 और 23 में व्याख्यायित किया गया था जो इस प्रकार हैं: –

"21. प्रणय सेठी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने उन विभिन्न शीर्षों पर विचार किया जिनके तहत मृत्यु के मामले में मुआवजा दिया जाना है। इनमें से एक प्रमुख साथी की

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

क्षति है। विधिक भाषा में, "साथी की क्षति " एक सारगर्भित शब्द है जिसमें 'दाम्पत्य साथी की क्षति', 'माता पिता के सहारे की क्षति', और 'संतानीय संबंधी की क्षति' शामिल है। साथी की क्षति के तहत मुआवजे के अधिकार में मृतक से मिलने वाला साथ, देखभाल, सहायता, सुख, मार्गदर्शन, सांत्वना और स्नेह शामिल होगा, जिसका उसके परिवार को क्षति हुई है। दम्पत्ति के संबंध में, इसमें मृत पति या पत्नी के साथ शारीरिक संबंध शामिल होंगे।

21.1. दाम्पत्य साथी की क्षति को आम तौर पर पति–पत्नी के रिश्ते से संबंधित अधिकारों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो जीवित पति या पत्नी को " दूसरे के साथ, समाज , सहयोग, स्नेह, और हर दाम्पत्य संबंध में दूसरे की सहायता के नुकसान के लिए मुआवजे की अनुमति देता है। ।"

21.2 माता–पिता की क्षति के लिए मुआवजा, बच्चे को माता–पिता की असामयिक मृत्यु पर "पैतृक सहायता,सुरक्षा, स्नेह, समाज, अनुशासन, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण" के नुकसान के स्वीकृत किया जाता है।

21.3. किसी बच्चे की आकस्मिक मृत्यु के मामले में संतानीय क्षति के मुआवजे का अधिकार माता–पिता का होता है। किसी दुर्घटना में बच्चे की मृत्यु मृतक के माता–पिता और परिवार को बहुत झटका और पीड़ा होती है। माता–पिता के लिए अपने जीवनकाल में अपने बच्चे को खोना सबसे बड़ी पीड़ा होती है। बच्चों का उनके प्यार, स्नेह, सहयोग और परिवार में उनकी भूमिका के लिए महत्व होता है।

22. साथी की क्षति के लिए मुआवजा एक विशेष प्रिज्म होता है जो वास्तविक संबंधों की स्थिति और मूल्य के बारे में बदलते मानदंडों को

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

दर्शाता है। आधुनिक दुनिया भर के न्यायालयों ने माना है कि एक बच्चे की क्षति के लिए मुआवजे का मूल्य किसी बच्चे की मृत्यु के मामले में दिए गए मुआवजे के आर्थिक मूल्य से कहीं अधिक है। इसलिए अधिकांश न्यायालय माता–पिता को बच्चे की मृत्यु पर उसकी क्षति के लिए मुआवजा देने की अनुमति देते हैं। माता–पिता को दी जाने वाली राशि मृत बच्चे के प्यार, स्नेह, देखभाल और साथ की हानि के लिए मुआवजा होता है।

23. मोटर वाहन अधिनियम एक लाभकारी अधिनियम है जिसका उद्देश्य वास्तविक दावों के मामलों में पीड़ितों या उनके परिवारों को अनुतोष प्रदान करना है। ऐसे मामले में जहां माता–पिता ने अपने नाबालिग बच्चे, या अविवाहित बेटे या बेटी को खो दिया है, वहां माता–पिता संतानीय क्षति शीर्ष के तहत मुआवजा पाने के हकदार होते हैं। अधिनियम के तहत मोटर वाहन दुर्घटनाओं में अपने माता–पिता को खोने वाले बच्चों को पैतृक क्षति का मुआवजा प्रदान किया जाता है। कुछ उच्च न्यायालयों ने इस आधार पर मुआवजे को स्वीकृती दी है। हालांकि, उन सिद्धांतों के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं थी जिन पर संतानीय क्षति का मुआवजा दिया जा सकता है।"

32. मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में दो–न्यायाधीशों की पीठ ने मृतक के पिता और बहन को 40,000/– रुपये की राशि का आदेश दिया। प्रस्तर 24 इस प्रकार है:–

"24. साथी की क्षति के रूप में प्रदान की जाने वाली मुआवजे की राशि, प्रणय सेठी (उपरोक्त) के मामले में प्रतिपादित 'साथी की क्षति' के तहत मुआवजा देने के सिद्धांतों द्वारा शासित होगी। वर्तमान मामले में, हम मृतक के पिता और बहन प्रत्येक को संतानीय क्षति के

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

तहत 40,000 रू. की राशि के मुआवजे का आदेश देना उचित समझते हैं।"

33. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सतिंदर कौर उर्फ सतविंदर कौर और अन्य, (2020) SCC ऑनलाइन 410 के मामले में तीन–न्यायाधीशों की पीठ ने **मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** के मामले में दो–न्यायाधीशों की पीठ के विचार की अभिपुष्टि की थी। तीन–न्यायाधीश पीठ ने प्रस्तर 53 से 65 में तीन पारंपरिक शीर्षों पर विचार किया। तीन पारंपरिक शीर्षों पर तीन–न्यायाधीश पीठ की पूरी परिचर्चा निम्नवत है: –

"53. प्रणय सेठी (उपरोक्त) के मामले में, संविधान पीठ ने कहा कि मृत्यु के मामलों में, मुआवजा केवल तीन पारंपरिक शीर्षों अर्थात संपत्ति का नुकसान , साथी की क्षति और अंतिम संस्कार व्यय के तहत दिया जाएगा।

54. न्यायालय ने माना कि पारंपरिक और परंपरागत शीर्षों को प्रतिशत के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह स्वीकार्य मानदंड नहीं होगा। आय के निर्धारण के विपरीत, उक्त शीर्षों को परिमाणित करना होगा, जो एक उचित आधार पर आधारित होना चाहिए। यह देखा गया कि मूल्य सूचकांक, बैंक ब्याज में गिरावट, दरों में वृद्धि जैसे कारक, ऐसे पहलू हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने माना कि पारंपरिक शीर्षों अर्थात् संपत्ति की हानि, साथी की क्षति और अंतिम संस्कार व्यय के तहत उचित राशियां, क्रमशः 15,000/– रुपये, 40,000/– रुपये और 15,000/– रुपये होना चाहिए। न्यायालय का विचार था कि इन पारंपरिक शीर्षों के तहत प्रदान की जाने वाली राशि में प्रत्येक तीन वर्षों में 10% की वृद्धि की जानी चाहिए, जिससे इन शीर्षों के संबंध में एकरूपता आएगी।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

ए) संपत्ति का नुकसान – रु. 15,000 दिया जाय

बी) साथी की क्षति

55. विधिक भाषा में साथी की क्षति के तहत मुआवजा को ऐतिहासिक रूप से केवल पति या पत्नी को दिया जाने वाला मुआवजा का संकीर्ण अर्थ दे दिया गया था यानी देखभाल, सहायता, आराम, मार्गदर्शन, समाज, सांत्वना, स्नेह और अपने साथी के साथ यौन संबंध का दूसरे साथी के अधिकार के रूप में। साहचर्य, प्रेम, देखभाल और सुरक्षा आदि की हानि, जिसे पाने का पति/पत्नी हकदार है, की उचित प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। साथी की क्षति से होने वाली लिए गैर–वित्तीय क्षति की अवधारणा विभिन्न न्यायालयों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आदि में मुआवजा देने के लिए प्रमुख शीर्षों में से एक है। आंग्ल न्यायालयों अस्थायी विकलांगता की अवधि के दौरान भी मुआवजे पाने के पति या पत्नी के अधिकार को मान्यता दी है।

56. *मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम और अन्य, 12* के मामले में इस न्यायालय ने "साथी की क्षति" पद का निर्वचन एक सारगर्भित शब्द के रूप में किया, जिसमें दाम्पत्य साथ, पैतृक साथ और संतानीय साथ शामिल है। साथी की क्षति के तहत मृतक से मिलने वाले साथ, देखभाल, सहायता, सुख, मार्गदर्शन, सांत्वना और स्नेह की क्षति शामिल होगा, जो उसके परिवार के लिए एक नुकसान है। दम्पत्ति के सन्दर्भ में, इसमें मृत पति या पत्नी के साथ शारीरिक संबंध शामिल होंगे।

57. पैतृक साथी की क्षति के तहत मुआवजा, माता–पिता की असामयिक मृत्यु पर माता–पिता की सहायता, संरक्षण, स्नेह, समाज,

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अनुशासन, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के नुकसान के लिए बच्चे को दिया जाता है।

58. संतानीय क्षति के तहत मुआवजा किसी बच्चे की दुर्घटना में मृत्यु के मामले में माता–पिता का अधिकार होता है। किसी दुर्घटना में बच्चे की मृत्यु मृतक के माता–पिता और परिवार को बहुत झटका और पीड़ा होती है। माता–पिता के लिए अपने जीवनकाल में अपने बच्चे को खोना सबसे बड़ी पीड़ा होती है। बच्चों का उनके प्यार, स्नेह, सहयोग और परिवार में उनकी भूमिका के लिए महत्व होता है।

59. आधुनिक दुनिया भर के न्यायालयों ने माना है कि एक बच्चे की क्षति के लिए मुआवजे का मूल्य किसी बच्चे की मृत्यु के मामले में दिए गए मुआवजे के आर्थिक मूल्य से कहीं अधिक है। इसलिए अधिकांश न्यायालय माता–पिता को बच्चे की मृत्यु पर उसकी क्षति के लिए मुआवजा देने की अनुमति देते हैं। माता–पिता को दी जाने वाली राशि मृत बच्चे के प्यार, स्नेह, देखभाल और साथ की हानि के लिए मुआवजा होता है।

60. मोटर वाहन अधिनियम एक लाभकारी अधिनियम है जिसका उद्देश्य वास्तविक दावों के मामलों में पीड़ितों या उनके परिवारों को अनुतोष प्रदान करना है। ऐसे मामले में जहां माता–पिता ने अपने नाबालिग बच्चे, या अविवाहित बेटे या बेटी को खो दिया है, वहां माता–पिता संतानीय क्षति शीर्ष के तहत मुआवजा पाने के हकदार होते हैं।

61. पैतृक क्षति के लिए मुआवजा उन बच्चों को दिया जाता है जो मोटर वाहन दुर्घटनाओं के कारण अपने माता–पिता की देखभाल और सुरक्षा खो देते हैं। 62. साथी की क्षति के लिए मुआवजे की राशि प्रणय सेठी (उपरोक्त) के मामले में किये गये निर्धारण के अनुसार मिलेगी।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

63. इस स्तर पर, हम साथी की क्षति के लिए मुआवजे के अनुदान, और प्रेम और स्नेह के नुकसान के संबंध में एकरूपता प्रदान करना आवश्यक समझते हैं। कई अधिकरण और उच्च न्यायालय साथी की क्षति के लिए और प्रेम और स्नेह की हानि दोनों के लिए मुआवजा देते रहे हैं। प्रणय सेठी (उपरोक्त) के मामले में संविधान पीठ ने केवल तीन पारंपरिक शीर्षों को मान्यता दी है जिसके तहत मुआवजा दिया जा सकता है। संपत्ति की हानि, साथी की क्षतिनि और अंतिम संस्कार व्यय।

64. मैग्मा जनरल (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने साथी की क्षति पद की एक व्यापक व्याख्या दी जिसमें पति –पत्नी का साथ, माता–पिता का साथ तथा संतानीय साथ शामिल हैं। प्रेम और स्नेह का नुकसान साथी की क्षति के तहत माना जाता है।

65. अधिकरणों और उच्च न्यायालयों को साथी की क्षति के लिए मुआवजे का आदेश देने के लिए निर्देशित किया जाता है जोकि एक वैध परंपरागत शीर्ष है। प्रेम और स्नेह के नुकसान के लिए अलग शीर्ष के तहत मुआवजा देने का कोई औचित्य नहीं है।

सी) अंतिम संस्कार व्यय – रु. 15,000 दिया जाय"

34. उपरोक्त मामले में तीन –न्यायाधीशों की पीठ ने 'साथी की क्षति के लिए मुआवजा' पद की व्यापक व्याख्या को मंजूरी देते हुए , जिसमें साथी की क्षति पैतृक क्षति और संतानीय क्षति को शामिल होना बताया। तीन –न्यायाधीशों की पीठ ने हालांकि आगे कहा कि 'प्रेम और स्नेह की क्षति' को 'साथी की क्षति' के अन्तर्गत समझा जाता है, इसलिए, 'प्रेम और स्नेह की हानि' के लिए एक अलग शीर्ष के तहत मुआवजा देने का कोई औचित्य नहीं है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

35. प्रणय सेठी के मामले में भी संविधान पीठ ने पारंपरिक शीर्ष के तहत 'प्रेम और स्नेह के नुकसान' के लिए कोई मुआवजा शामिल नहीं किया है, जिसे अब **यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त)** में तीन–न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दोहराया गया है। इस प्रकार अब यह आधिकारिक रूप से सुस्थापित है कि 'प्रेम और स्नेह की क्षति' के तहत कोई मुआवजा नहीं दिया जा सकता है।

36. 'साथी की क्षति के लिए मुआवजा' पद को ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, 10 वें संस्करण में परिभाषित किया गया है। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी भी तत्पश्चात संतानीय क्षति का मुआवजा, पैतृक क्षति का मुआवजा और दाम्पत्य क्षति का मुआवजा को निम्नवत ध्यातव्य रखा है: –

> " **साथी की क्षति का मुआवजा (कंसोर्टियम) 1**. वह लाभ जो एक व्यक्ति, विशेष रूप से एक पति या पत्नी, दूसरे से प्राप्त करने का हकदार है, जिसमें साथी की क्षति के लिए उससे प्राप्त होने वाला साहचर्य, सहयोग, स्नेह, सहायता, वित्तीय सहायता, और (पति/पत्नी के बीच) यौन संबंध के क्षति का दावा शामिल होता है।
>
> • **संतानीय क्षति का मुआवजा** माता पिता को एक बच्चे द्वारा दिया जाने वाला संग–साथ, स्नेह और साहचर्य।
>
> • **पैतृक क्षति का मुआवजा** बच्चे को माता–पिता द्वारा दिया जाने वाला संग–साथ, स्नेह और साहचर्य।
>
> • **दाम्पत्य क्षति का मुआवजा** दम्पत्ति द्वारा एक–दूसरे को दिया जाने वाला संग–साथ, स्नेह और साहचर्य।

37. मैम्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) तथा **यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त)** के मामलों में, तीन न्यायाधीश पीठ ने यह प्रतिपादित किया कि साथी की क्षति का मुआवजा दाम्पत्य क्षति के मुआवजे तक

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

सीमित नहीं है और इसमें पैतृक क्षति का मुआवजा तथा संतानीय क्षति का मुआवजा भी शामिल है। **यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त)** के मामले में प्रस्तर 87 में इसीलिए, सभी तीनों दावेदारों को 'साथी की क्षति का मुआवजा' प्रदान किया गया था। प्रस्तर 87 नीचे उद्धृत किया गया है: –

> "**87**. जहां तक पारंपरिक शीर्षों का संबंध है, मृतक सतपाल सिंह अपने पीछे एक विधवा और तीन बच्चों को अपने आश्रित के रूप में छोड़ गये। प्रणय सेठी (उपरोक्त) और मैग्मा जनरल (उपरोक्त) के मामलों में दिये गये निर्णयों के आधार पर, पारंपरिक शीर्षों के तहत निम्नलिखित राशियां प्रदान की जाती हैं: –
>
> i) संपत्ति की हानि: 15,000 रुपये
>
> ii) साथी की हानि:
>
> ए) दाम्पत्य हानि: 40,000 रुपये
>
> बी) पैतृक हानि: 40,000 x 3 = 1,20,000 रुपये
>
> iii) अंतिम संस्कार व्यय: रुपये 15,000"

38. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि **प्रणय सेठी** के मामले में केवल दाम्पत्य क्षति के मुआवजे का उल्लेख किया है और **प्रणय सेठी** के निर्णय में किसी अन्य 'साथी की क्षति के मुआवजे' का उल्लेख नहीं किया गया था, इसलिए, पैतृक क्षति के मुआवजे और संतानीय क्षति के मुआवजे को अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं है। **प्रणय सेठी** के मामले में संविधान पीठ ने 'साथी की क्षति के लिए मुआवजा' के लिए 40,000/– रुपये की राशि का उल्लेख किया है, लेकिन संविधान पीठ ने इस बात समाधान नहीं किया कि क्या 40,000/– रुपये का मुआवजा केवल दाम्पत्य क्षति के मुआवजे के रूप में देय है। **प्रणय सेठी** के मामले का वाचन इस प्रकार नहीं किया जा सकता कि यह ऐसी उपधारणा प्रतिपादित करता है कि साथी की क्षति का मुआवजा केवल पत्नी को देय है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

39. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में तीन–न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया है कि दाम्पत्य क्षति के मुआवजे के अलावा पैतृक क्षति और संतानीय क्षति का मुआवजा देय होता है। हम स्वयं को तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा आबद्ध पाते हैं। इसलिए, हम अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस कथन को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि प्रत्येक दावेदार को प्रदान की गई 'साथी की क्षति का मुआवजा' राशि पोषणीय नहीं है।

40. इस प्रकार, हमने प्रत्येक दावेदार को साथी की क्षति के लिए मुआवजे का आदेश देने वाले उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को विधि के अनुरूप पाया जिसमें इस अपील के अन्तर्गत किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तथापि, हम अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस कथन को स्वीकार करते हैं कि 'प्रेम और स्नेह की हानि' के अलग शीर्षक के तहत मुआवजा देने का कोई औचित्य नहीं है। अपीलकर्ता द्वारा दायर की गयी अपील 'प्रेम और स्नेह की हानि' के तहत मुआवजे के आदेश के सन्दर्भ में स्वीकार किये जाने योग्य है।

41. हम अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवलंबित इस न्यायालय के तीन–न्यायाधीशों की खंडपीठ के निर्णय – **संगीता आर्य और अन्य बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य, (2020) एससीसी ऑनलाइन 513** का भी संज्ञान ले सकते हैं। अपीलकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि इस न्यायालय ने 'साथी की क्षति के तहत मुआवजे' के रूप में केवल रु. 40,000/– की राशि का आदेश दिया है जो इस बात का संकेत है कि बच्चों को 'साथी की क्षति का मुआवजा ' नहीं दिया जा सकता है। उपरोक्त मामले में, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने विधवा को साथी की क्षति के तहत 20,000/– रुपये और नाबालिग बेटी को 'प्रेम और स्नेह की हानि' के लिए 10,000/– रुपये का आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

साथी की क्षति की राशि को 20,000/– रुपये से घटाकर 10,000/– रुपये कर दिया। निर्णय का पैरा 16 निम्नलिखित आशय वाला है: –

> "16. विधवा को देय साथी की क्षति का मुआवजा उच्च न्यायालय द्वारा 20,000 रुपये (एमएसीटी द्वारा दिए गए अनुसार) से घटाकर 10,000 रुपये कर दिया गया; नाबालिग बेटी को प्रेम और स्नेह की क्षति के लिए दी गई राशि 10,000 रुपये से घटाकर 5,000 रुपये कर दी गयी। हालांकि, अंतिम संस्कार के खर्च के लिए एमएसीटी द्वारा प्रदान की गई 5,000 रुपये की राशि को बरकरार रखा गया था। "

42. उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने विचारण को मृतक की आय तक सीमित कर दिया और न तो कोई दावा किया गया था और न ही कोई विचारण इस बात पर किया गया कि साथी की क्षति का मुआवजा अन्य विधिक उत्तराधिकारियों को भी दिया जाना चाहिए। अन्य विधिक उत्तराधिकारियों का साथी की क्षति के लिए मुआवजे का कोई दावा न होने के कारण, इस न्यायालय ने साथी की क्षति के लिए 40,000 / – का आदेश दिया। उपरोक्त निर्णय से ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि इस न्यायालय ने यह धारित किया कि साथी की क्षति का मुआवजा केवल दाम्पत्य क्षति के मुआवजे के रूप में देय है साथी की क्षति का मुआवजा बच्चों और माता–पिता देय नहीं है।

43. इस पर ध्यान देना प्रासंगिक है कि **यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड** के मामले, जो **संगीता आर्या** के उपरोक्त तीन–न्यायाधीशों पीठ के निर्णय के कुछ समय बाद दिया गया था, जिसका उपरोक्त संज्ञान लिया गया है, यह बात विनिर्दिष्ट रूप से प्रतिपादित की गयी थी कि दाम्पत्य और पैतृक दोनों क्षतियों के लिए मुआवजा देय होता है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

44. हम सिविल अपील सं. 2885 वर्ष 2020 के **एम.एच.उमा माहेश्वरी और अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** के मामले में इस न्यायालय के एक और तीन–न्यायाधीश पीठ के निर्णय को ध्यान में रख सकते हैं। उपरोक्त मामले में, अधिकरण ने पत्नी को साथी की क्षति के लिए मुआवजे के तहत एक लाख रुपये और सभी अपीलकर्ताओं को प्रेम और स्नेह के नुकसान के लिए तीन लाख रुपये की राशि का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने उक्त मामले में बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील में मुआवजे की राशि को कम कर दिया था। उच्च न्यायालय ने माना कि पत्नी को साथी की क्षति के लिए मुआवजे के रूप में एक लाख रुपये की राशि देकर साथ ही पहले अपीलकर्ता को ' प्रेम और स्नेह के नुकसान' के लिए एक लाख रुपये देकर अधिकरण ने त्रुटि की थी। दावेदार द्वारा दायर की गयी अपील को स्वीकार करते हुए इस न्यायालय ने एमएसीटी के आदेश को बरकरार रखा।

45. उपरोक्त फैसले में, यद्यपि तीन–न्यायाधीशों की पीठ द्वारा प्रदत्त, साथी की क्षति के लिए एक लाख रुपये के मुआवजे और प्रेम और स्नेह के नुकसान के लिए तीन लाख रुपये के मुआवजे को कोई चुनौती नहीं दी गयी थी। अपील केवल दावेदारों द्वारा दायर की गई थी न कि बीमा कंपनी द्वारा। न्यायालय ने 'प्रेम और स्नेह की हानि' के तहत दी गई राशि के सही होने पर फैसला नहीं सुनाया था।

46. हम **सिविल अपील संख्या ...../2020 (विअया(सि)संख्या 8250 वर्ष 2020 से उद्भूत), ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती रिंकू देवी और अन्य** में दिये गये तर्क पर भी ध्यान दे सकते हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हमारा यह विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्येक दावेदार को 'प्रेम और स्नेह की हानि' के लिए 50,000/– रुपये की दर से मुआवजा देने का आदेश अनुचित है जिसे इस अपील में अपास्त किया जा रहा है। हम, आगे, उपरोक्त अपील में, प्रस्तर 9 में उच्च न्यायालय के उस निर्देश को भी अपास्त करते हैं, जिसके द्वारा

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

ब्याज के साथ सांविधिक राशि को आसरा निधि में जमा करने का निर्देश दिया गया था।

47. परिणामस्वरूप, सभी अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। पारंपरिक शीर्ष 'प्रेम और स्नेह की हानि' के तहत मुआवजे दिया जाना अपास्त किया जाता है। पुरस्कार अलग रखा गया है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण देय राशि की पुनर्गणना करेगा विधि के अनुसार कार्यवाही करेगा।

48. तदनुसार सभी अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। कोई लागत नहीं।

.....

(न्यायमूर्ति अशोक भूषण)

.....

(न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी)

नई दिल्ली

सितंबर, 07, 2020

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।